संघ लोक सेवा आयोग
(बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग)
शाहजहां रोज, धौलपुर हाउस,
नई दिल्ली- 110069

ई - निविदा सं. फा. सं. 6.1(2)/2018-बै.एवं अनु. दिनांक- 20 दिसंबर, 2018

ई-निविदा सूचना

विषयः- तीन वर्ष की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों/आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी)

******

अनुबंध - 1 पर संलग्न सूची के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों तथा आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी) हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा दस्तावेज केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सी पी पी पी) की वेबसाइट http://eprocure.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

3. इच्छुक बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में दो बोली प्रणाली में निविदा ऑनलाइन http://eprocure.gov.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा केवल ई-प्रापण पोर्टल http://eprocure.gov.in के जरिये ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत की जानी है। पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों को स्कैन्ड किया जाना है और निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड की जानी है। ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम द्वारा भेजी गयी निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख तथा समय की समाप्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो निविदा दस्तावेज स्वीकार नही की जाएगी।

4. संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों तथा आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी) की सामान्य निबंधन एवं शर्तें निविदा दस्तावेज में दी गई हैं। भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सी पी पी पी पर http://eprocure.gov.in के जरिये बोली के ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/संविदाकर्ता को अनुदेश में दिये गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

5. 20,000/- रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) जो एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो या ई एम डी छूट प्रमाण-पत्र, जो वास्तविक रूप में एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसपर विधिवत रूप से बड़े अक्षरों में" अग्निशमन उपकरणों तथा आग बुझाने वाली रेतभरी बाल्टियों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना" लिखा हो जो अवर सचिव (बै. एवं अनु.), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को संबोधित करते हुए दिनांक 10 जनवरी, 2019 तक 09.30 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के स्वागत कक्ष (गेट नं. 2) के समीप रखे केवल निविदा बॉक्स में डाली जानी चाहिए। यदि मूल जमा धरोहर राशि उपर्युक्त तारीख तथा समय के दौरान जमा नहीं की जाती है तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी इलेक्ट्रानिक रूप से http://eprocure.gov.in पर अपलोड की जानी चाहिए। निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोली के संबंध में न ही कोई पत्राचार किया जाएगा। यदि कोई बोलीदाता को या तो एन एस आई सी या किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा ई एम डी संलग्न करने से छूट प्राप्त है तो ऐसे छूट प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड प्रति इलेक्ट्रानिक रूप से http://eprocure.gov.in पर अपलोड की जानी चाहिए। उसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित एक प्रति आयोग कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। यदि बोली ई एम डी / ई एम डी छूट प्रमाण-पत्र के प्राप्त की जाती है तो उसपर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. बोलियां संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 11.01.2019 को 3.30 बजे अपराह्न में कमरा सं. 101, आयोग सचिवालय भवन, नई दिल्ली में तीन अधिकारियों की समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जाएंगी। यदि बोली को जमा करने की निर्धारित तारीख को या अनुवर्ती तारीख को घोषित अवकाश या बंद अवकाश होता है तो बोलियां इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय अर्थात 03.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन 03.30 बजे अपराह्न को खोली जाएगी। बोली के मूल्यांकन के पश्चात निविदा मूल्यांकन समिति (टी ई सी) अपना विशिष्ट अनुशंसा (अनुशंसाएं) देगा जिसे अपलोड किया जाएगा और बोलिदाताओं द्वारा देखा जा सकेगा।

7. संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निविदा को निरस्त करने या निविदा दस्तावेज में शामिल किसी भी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करने या उसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

(आर. के.दीक्षित)
अवर सचिव (सामान्य)

प्रतिलिपि अग्रेषितः-

1. संघ लोक सेवा आयोग के पंजीकृत बोलीदाता / संविदाधारक को परिचालित करने हेतु
2. निदेशक, एन आई सी को उपर्युक्त ई -निविदा नोटिस को सरकारी ई-प्रापण पोर्टल पर रखने के अनुरोध के साथ
3. नोटिस बोर्ड
4. गार्ड फाईल

सं. 6.1(2)/2018 -बै. एवं अनु.
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2018

सेवा में

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेतभरी बाल्टियों आदि के वार्षिक विस्तृत रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रण सूचना ।

प्रिय महोदय,

संघ लोक सेवा आयोग परिसर अर्थात मुख्य भवन एनेक्सी भवन, आयोग सचिवालय, परीक्षा भवन, के.लो.नि.वि.उप केंद्र, पुराना अतिथि गृह नं. 3, खत्ता, के.औ.सु.ब. लेन तथा मेस (जामनगर हाउस) रिकार्ड कक्ष (जामनगर हाउस) आदि में विभिन्न स्थानों पर लगे 426 अग्निशमन उपकरणों तथा 126 आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों आदि के वार्षिक विस्तृत रखरखाव के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग परिसर में स्थित अग्निशमन उपकरणों /आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों का विवरण निविदा आमंत्रण सूचना के अनुबंध-। में देखा जा सकता है। इन अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेतभरी बाल्टियों की सही स्थिति को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 2 जनवरी, 2019 से 4 जनवरी, 2019 तक 3.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच दूरभाष सं. 011-23388418 पर संपर्क कर पुष्टि करने के पश्चात कार्यालय का दौरा कर देख सकते हैं।

2. **अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों के वार्षिक विस्तृत अनुरक्षण** के लिए प्रस्तुत की जाने वाली बोली ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में दिल्ली / नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंकर्स चैक / एफ.डी.आर. के रूप में 20,000/- रू. (बीस हजार रूपए) की मूल जमा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) सीलबंद लिफाफे में डाल कर जिसके उपर विधिवत रूप से "**अग्निशमन उपकरणों तथा आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों के लिए निविदा** लिखा हो, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के स्वागत कक्ष (गेट नं. 2) के नजदीक रखे गये निविदा बॉक्स में 10 जनवरी, 2019 को 09.30 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न के बीच डाल सकते हैं। बोली (तकनीकी बोली) के साथ जमा धरोहर राशि की स्कैन्ड प्रति अवश्य संलग्न की जानी चाहिए।

4. सफल बोलीदाता को कुल लागत की 7% राशि 'निष्पादन प्रतिभूति' के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ.डी.आर. जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। 'निष्पादन प्रतिभूति' संविदा संबंधी सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद 60 दिनों तक वैध रहेगी। तथापि, सफल बोलीदाता को 'निष्पादन प्रतिभूति' प्राप्त होने पर जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी।

5. तकनीकी बोली 11 जनवरी, 2019 को 3.30 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कमरे में बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों जो इसमें उपस्थित होना चाहते हैं, के समक्ष खोला जाएगा।

<u>कार्य का क्षेत्र</u>

6. 'निविदा आमंत्रण सूचना'के अंतर्गत मुख्य कार्य अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों आदि का रखरखाव औरउन्हें पुन: भरना है। वेंडर को संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अग्निशमन उपकरणों /आग बुझाने वालीरेत भरी बाल्टियों को पुन: भरने का कार्य करना होगा और वेंडर द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रचलित कर, अनुरक्षण एवं पुन: भरने संबंधी प्रभार आदि शामिल होंगे। प्रत्येक अग्निशमन यंत्र / आग बुझाने वाली रेतभरी बाल्टियों को वर्ष में कम से कम एक बार तथा जब भी अपेक्षित हो को पुन: भरना होगा/उसकी रंगाई करनी होगी।

<u>प्रत्येक माह निष्पादित किया जाने वाला कार्य:</u>

(क) इस निविदा आमंत्रण सूचना के **अनुबंध-II** के अनुसार, परिसर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए अग्निशमन उपकरणों को संबंधित स्थान पर लगाने / फिक्स करने / स्टीकर बदलने/ रिपोर्ट/ मरम्मत / सांख्याकित आदि करने आदि के पश्चात मासिक जांच करने तथा उन्हें संबद्धस्थानों पर स्थापित करने संबंधी कार्य करने होंगे और एक जॉब सूची कार्ड दर्शाना होगा जो एक पारदर्शी पोलीथीन में विधिवत रूप से सुरक्षित हो, प्रत्येक अग्निशमन उपकरण पर लगाना होगा जिस पर विधिवत रूप से कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा सं.लो.से.आ. के नामित नॉडल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

(ख) जब कभी अपेक्षित हो अग्निशमन उपकरणों को पुन: भरना।

(ग) नि.आ.सू. के **अनुबंध-III** के प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक अग्निशमन उपकरण पर सर्विस स्लिप प्रदर्शित करना।

(घ) आयोग परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थित उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों की विधिवत जांच करने / बदलने / स्टीकर बदलने / पुन: चिपकाने / रिपोर्ट तैयार करने / मरम्मत करने / संख्याकित करने आदि के बाद उपकरणों की मासिक जांच करना तथा उन्हें संबद्ध स्थानों पर स्थापित करना और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई करना जैसे अग्निशमन रेत की बाल्टियों का रेत पलटना, ज्वलनशील पदार्थों (कागज के टुकड़े, प्रयोग की गई माचिस की तिलियां निकालने के बाद) को रेत से अलग करने के बाद प्रत्येक में रेत की अपेक्षित मात्रा की जांच करना और अपेक्षित स्तर से कम पाए जाने पर उन्हें पुन: भरना।

(ड़) जब कभी अपेक्षित हो रेत की बाल्टियों को पुन: भरना ।

(च) इस निविदा आमंत्रण सूचना के **अनुबंध-IV** में दर्शाए गए निष्पादन के अनुसार मासिकजांच सूची प्रस्तुत करना ।

(छ) जब कभी आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर वेंडर को कॉल एटेन्ड करना होगा ।

(ज) मासिक जांच / पुन: भरने संबंधी कार्य आदि को इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी या नॉडल अधिकारी की उपस्थिति में करना होगा ।

(झ) फर्म को संविदा कार्यों को निष्पादित करने के दौरान इकट्ठा होने वाले सभी मलबो यदि कोई हो, का निपटान समुचित रूप से स्वयं करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि अदा नहीं की जाएगी।

(ञ) फर्म को प्रत्येक दिन किए जाने वाले अनुरक्षण संबंधी कार्य का उल्लेख करते हुए तारीखवार रजिस्टर रखना होगा और इसे संबंधित सहायक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए ।

(ट) फर्म वर्ष में एक बार अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों और बाल्टी स्टैंड का स्प्रे पेंटिंग संबंधी कार्य को निष्पादित करना होगा और प्रत्येक अग्निशमन उपकरणों/आग बुझाने वाली रेतभरी बाल्टी और बाल्टी स्टैंड पर संख्या डालनी होगी। स्प्रे पेंन्टिग के पश्चात फर्म को अग्निशमन उपकरणों के प्रकार के बारे में नए स्टीकर चिपकाने होंगे ।

7. <u>पात्रता मानदंड</u>

आवेदन करने वाली एजेंसी के पास व्यापार के लिए वैध व्यापार लाईसेंस, वैध आयकर पैन नं. तथा सेवा कर खाता सं. होना चाहिए। एजेंसी के पास इस प्रकार की सेवाएं किसी सरकारी मंत्रालय / विभाग अथवा तीन सितारा या पांच सितारा होटलों तथा बड़ी निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । फर्म का वार्षिक कारोबार दस लाख रू. से अधिक होना चाहिए । तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए ।

(I) फर्म के वार्षिक कारोबार में अन्य बातों के साथ विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016-17 तथा 2017-18 में उनका निवल लाभ / हानि का उल्लेख किया जाना चाहिए जो उनके चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो ।

(II) फर्म के सेवाकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा जी एस टी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ।

(III) फर्म के आयकर पैन सं. की प्रति

(IV) विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 की आयकर विवरणी की प्रति

(V) अद्यतन सेवाकर विवरणी / जी एस टी की प्रति

(VI) सरकारी मंत्रालयों / विभागों या तीन सितारा या पांच सितारा होटलों तथा बड़ी निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम तीन वर्षों तक उसी प्रकार की सेवा प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र ।

(VII) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए व्यापार लाइसेंस यदि कोई हो, की प्रति ऐसे प्रमाण के तौर पर कि बोलीदाता अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव तथा उन्हें पुन: भरने संबंधी व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है।

(VIII) **नि.आ.सू. के अनुबंध- V** के अनुसार प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना ।

<u>दो बोली प्रणाली</u>:

8. बोलियां एक मुहरबंद लिफाफे में दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिएः-

(क) **<u>तकनीकी बोली</u>**: पहले मुहरबंद लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "अग्निशमन उपकरणों / रेत भरी बाल्टियों आदि की वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए तकनीकी बोली" लिखा हो और इसमें निविदा आमंत्रण सूचना के **अनुबंध- VI** में उल्लिखित जांच सूची के अनुसार दस्तावेज होने चाहिए ।

(ख) **<u>वित्तीय बोली</u>**: दूसरेमुहरबंद लिफाफे पर वित्तीय बोली के साथ जमा धरोहर राशि(ई एम डी) के रूप में डी डी/ पे आर्डर की प्रति होनी चाहिए । वित्तीय बोली को अलग से सील किया जाना चाहिए और दूसरे मुहरबंद लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "अग्निशमन उपकरणों आदि के वार्षिक अनुरक्षण हेतु संविदा के लिए वित्तीय बोली" लिखा हो । इसे **अनुबंध-VII एवं अनुबंध- VIII** के अनुसार प्रोफार्मा में दिया जाना चाहिए ।

(ग) बोलीदाता द्वारा "तकनीकी बोली" तथा "वित्तीय बोली" अलग लिफाफे में रखी जानी चाहिए जो मोटे अक्षरों में शीर्षांकित हो और ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक अन्य तीसरे सीलबंद लिफाफे में रखे जाने चाहिए और उस पर भी सील लगी होनी चाहिए जिस पर मोटे अक्षरों में विधिवत रूप से "अग्निशमन उपकरणों आदि के लिए वार्षिक अनुरक्षणसंविदा के लिए बोली" लिखा हो।

9. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । अपूर्ण बोलियां अस्वीकारकर दी जाएगी। सशर्त बोलियां सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी ।

10. केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो । वित्तीय बोलियों को खोलने की तारीख तथा समय की सूचना संबंधित बोलीदाताओं को समुचित समय पर दे दी जाएगी ।

11. देरी से प्राप्त बोली: अर्थात निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त होनेवाली बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

12. बोली जमा कराने की अंतिम तारीख तथा बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली की वैधता अवधि या निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के अंतराल के बीच किसी बोली को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । इस अवधि के दौरान बोली को वापस लेने का परिणाम ऐसे बोलीदाताओं की 'जमा धरोहर राशि' की जब्ती होगी।

13. तकनीकी बोली खोले जाने की अवधि से तीन महीने तक बोलियां स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी।

14. निविदा में उद्धत दरें एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेंगी और एक बार निविदा स्वीकृत किए जाने पर अंतिम भुगतान अवधि तक दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी । किसी भी परिस्थिति में वृद्धि में संशोधन की अनुमति चाहें जो भी हो नहीं होगी ।

15. किसी भी अन्य जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग, सं.लो.से.आ. से किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 17.00 बजे अपराह्न के बीच टेलीफोन नम्बर 23388195 पर संपर्क कर सकते हैं।

जोखिम क्रय खंड

16. यदि बोली प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के बाद अर्थात आर्डर देने के बाद आपूर्तिकर्ता इन निविदा दस्तावेज़ों के निबन्धन और शर्तो का अनुपालन करने में विफल रहता है या दी गई सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार सामग्री की आपूर्ति में विफल रहता है या किसी भी समय संविदासे मुकर जाता है तो सं.लो.से.आ. को जमा धरोहर राशि/निष्पादन प्रतिभूति, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा की गई हो, को जब्त करने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर सामग्रियों को अन्य एजेंसी से खरीदने का अधिकार होगा । ऐसी खरीद की लागत अन्य प्रासंगिक प्रभारों जिसमें सीमाशुल्क, कर, भाड़ा और बीमा आदि शामिल हैं, सहित आपूर्तिकर्ता से वसूला जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से सेवाएं / सामग्री खरीदने के लिए बाध्य होने पर और यदि खरीद मूल्य कम है तो इसका कोई लाभ आपूर्तिकर्ता को नहीं दिया जाएगा ।

17. किसी प्रकार की सामग्री की आपूर्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाएगी । संविदाकर्ता/बोलीदाता को संविदा के लिए अपेक्षित सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी है। उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री अग्नि सुरक्षा मानकों / आई एस आई मानकों के अनुसार होनी चाहिए । सामग्री की घटिया किस्म की आपूर्ति की किसी भी शिकायत की जांच की जाएगी और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जैसा उचित समझा जाए, शास्ति अधिरोपित करने या संविदा को समाप्त करने और निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार सं.लो.से.आ. के पास सुरक्षित है और घटिया किस्म की आपूर्ति के लिए देश के कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकता है।

18. फर्म को संविदा के दौरान जमा हुए 'मलबा' यदि कोई हो, का निपटान समुचित रूप से करना होगा । इस मद पर कोई अतिरिक्त प्रभार अदा नहीं किया जाएगा ।

19. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी और संविदा के शुरू होने की तारीख की गणना सफल बोलीदाता / बोलीदाताओं (खंड 20 के अंतर्गत आने वाले) को पत्र के जारी होने के 10 वें दिन से की जाएगी ।

20. यदि फर्म / संविदाकर्ता का कार्य निष्पादन आयोग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है और सक्षम प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं तो संविदा को विगत/ तीसरे वर्ष की दर, निबंधन एवं शर्तों पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

21. बोलीदाता / एजेंसी को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें उनके द्वारा की गई मासिक सेवा का रिकार्ड दिखाना होगा और बै. एवं अनु. अनुभाग के अधिकारी का हस्ताक्षर लेना होगा जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि प्रदान की गई सेवा संतोषजनक है।

22. अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी के मासिक जांच कार्य पूरा होने पर बोलीदाता / एजेंसी को नि.आ.सू. के **अनुबंध-IV** के अनुसार मासिक जांच सूची जमा करनी होगी ।

वित्तीय बोली का मूल्यांकन :

23. फर्म इस प्रयोजन के लिए बनाई गई दो प्रोफार्मा **(अनुबंध-VII एवं अनुबंध-VIII)** में दर उद्धत करेगी । प्रथम प्रोफार्मा **(अनुबंध-VII)** में फर्म अग्निशमन उपकरण / आग बुझाने वाली रेतवाली बाल्टी को पुन: भरने के लिए दर उद्धत करेगी द्वितीय प्रोफार्मा **(अनुबंध-VIII)** में फर्मअग्निशमन उपकरण / आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी की पेन्टिग तथा सांख्याकन सहित वार्षिक अनुरक्षण के लिए दर उद्धत करेगी ।

24. बोली का मूल्यांकन **अनुबंध-VII एवं अनुबंध-VIII** के कम सं. 7 में यथा वर्णित कुल दरों (कर रहित) के आधार पर पैकेज के रूप में किया जाएगा । **अनुबंध-VII एवं अनुबंध-VIII** के कम सं.7 पर वेंडर द्वारा उद्धत की गई राशि को जोड़ा जाएगा और एल-1 मूल्य पर विचार करने के लिए कुल मूल्य को लिया जाएगा ।

एल-1 बोलीदाता का निर्णय करने की विधि :

25. फर्म / एजेंसी / बोलीदाता को प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दर उद्धत करनी चाहिए । प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्य स्थिर रहेंगी विभिन्न वर्षों के लिए समान तुलनात्मक दर के लिए, दर को समान फुटिंग पर लाने के लिए एन वी पी (कुल वर्तमान मूल्य) का उपयोग 10% वार्षिक बट्टे के रूप में किया जाता है, तदनुसार एल-1 का निर्णय किया जाएगा ।

26. निविदा दस्तावेज़ में बट्टे की दर और एन पी वी की गणना पूर्व प्रकटित है जो निम्नानुसार है :

एन पी वी ={वाई 1 +वाई 2 / (1+0.1)+ वाई 3 + (1+ 0.1) ^{2} }

जहां-
एन पी वी का अर्थ कुल वर्तमान मूल्य है ।
वाई-1 का अर्थ प्रथम वर्ष के लिए उद्धत की गई दर है ।
वाई-2 का अर्थ द्वितीय वर्ष के लिए उद्धत की गई दर है ।
वाई-3 का अर्थ तृतीय वर्ष के लिए उद्धत की गई दर है ।

चूंकि एन पी वी की गणना का परिचय नि.आ.सू. में दिया जा रहा है, अत: यह प्रस्तावित है कि नि.आ.सू. में परिकलन को एक उदहारण के जरिए समझा जा सकता है जो निम्नानुसार है :

उदाहरण के लिए:- यदि प्रथम वर्ष (वाई-1) के लिए उद्धत की गई दर 1,000 है द्वितीय वर्ष (वाई-2) के लिए उद्धत की गई दर 1,200 है और का अर्थ तृतीय वर्ष (वाई-3) के लिए उद्धत की गई दर 1,400 है तो एन पी वी होगा

$$1{,}000 + \frac{1{,}200}{1.1} + \frac{1{,}400}{1.21}$$

= 1.000 + 1090.91 + 1157.02

= 3247.93/- रू.

यह निविदा प्रदान करने के लिए एल-1 को निर्धारित करने का मूल्य है तथापि, एल-1 बोलीदाता को उनके वर्षवार कोटेशन के अनुसार अदा किया जाएगा ।

27. फर्म / बोलीदाता द्वारा उद्धत की गई दर, उसी प्रकार के कार्य के लिए अन्य सरकारी संगठनों से बोलीदाता द्वारा प्रभारित दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । इस आशय का प्रमाण –पत्र भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिल में शामिल किया जाना चाहिए । यदि दो बोलियों एक समान दर की प्राप्त होती है तो फर्म के उच्चतर कारोबार वाले बोली को स्वीकार किया जाएगा ।

<u>भुगतान</u>

28. एल-1 अनुमोदित फर्म अनुरक्षण संबंधी कार्य के लिए भुगतान फर्म द्वारा कार्य के संतोषजनक रूप से निष्पादित किए जाने के आधार पर फर्म से प्राप्त बिलों पर चार तिमाही किश्तों में किया जाएगा जो इस कार्यालय के प्रयोक्ता शाखा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो । पुन: भरने संबंधी कार्य के लिए भुगतान बिलों के प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा।

29. यदि यह पाया जाता है कि सेवाएं कार्य क्षेत्र के अनुसार तथा नि.आ.सू.के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुहैया नहीं की जाती है या किसी भी समय यह पाया जाता है कि फर्म सं.लो.से.आ. की कॉल अनुपालन नहीं कर रहा है तब सं.लो.से.आ. को यह अधिकार होगा कि वह सेवा न मुहैया करने के लिए फर्म के बिल से 20%भुगतान की राशि कटौती करे ।

30. कार्यान्वित कार्य आयोग की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए फर्म को आयोग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, ऐसा न होने पर उक्त संगत तिमाही के कुल बिल से आयोग 10% की कटौती करेगा। यह कटौती उपेक्षा की गंभीरता पर निर्भर करेगी, इसके लिए सं.लो.से.आ. एजेंसी को काली सूची में डालने और निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. सचिव, सं.लो.से.आ. किसी निविदा के पूरे या उसके भाग को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम तथा फर्म पर बाध्यकारी होगा ।

32. सं.लो.से.आ. की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विधिवत रूप से केवल प्राधिकृत व्यक्तियों / ऑपरेटरों द्वारा ही कार्य निष्पादित किया जाएगा । वेंडर आयोग को अग्रिम में उनके प्रत्यय-पत्र सहित प्राधिकृत कर्मचारियों की सूची मुहैया कराएगा ।

(आर. के.दीक्षित)
अवर सचिव (सामान्य)

नि.आ.सू. का अनुबंध-I

संघ लोक सेवा आयोग
(बै. एवं अनु. अनुभाग)

अनुरक्षण एवं पुनर्भरण आदि के लिए अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने के लिए रेत की बाल्टी का विवरण एवं विनिर्दिष्टताएं :-

क्रम सं.	मदों का विवरण	क्षमता	मात्रा *(सं. में)
1.	जल संबंधी अग्निशमन उपकरण	09.00 ली.	83
2.	CO_2 अग्निशमन उपकरण	02.00 कि.ग्रा.	09
		03.00 कि.ग्रा.	03
		04.50 कि.ग्रा.	110
3.	शुष्क रासायनिक पाउडर (ए बी सी प्रकार के) संचित दबाव	02.00 कि.ग्रा.	88
		04.00 कि.ग्रा.	17
		05.00 कि.ग्रा.	55
		06.00 कि.ग्रा.	15
4.	शुष्क रासायनिक पाउडर (कार्टिज प्रकार के)	05.00 कि.ग्रा.	3
		25.00 कि.ग्रा.	3
5.	यांत्रिक झाग प्रकार के	09.00 ली.	37
		50.00 ली.	3
	कुल		426
6.	‘अग्नि’ चिन्हित रेत की बाल्टी		126

क्षमता/ मात्रा में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है ।

नि.आ.सू. का अनुबंध-II

संघ लोक सेवा आयोग

(बै. एवं अनु. अनुभाग)

(वेंडर/बोलीदाता द्वारा विधिवत रूप से पॉलीबैग में संरक्षित करके अग्निशमन उपकरण से टैग किया जाए)

अग्नि शमन उपकरण सं.----------------------------

अवस्थिति---

प्रकार---

क्षमता---

पुर्नभरण की तारीख-----------------------------------

द्रवचालित परीक्षण------------------------------------- को किया गया।

द्रवचालित परीक्षण की अगली नियत तारीख----------------------------अग्निशमन उपकरण का निरीक्षण / जांच रिकार्ड

क्रम सं.	जांच की तारीख	निम्नलिखित द्वारा जांच किया गया	अभ्युक्तियां/हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

<u>नि.आ.सू. का अनुबंध-III</u>

संघ लोक सेवा आयोग
(बै. एवं अनु. अनुभाग)

(वेंडर/बोलीदाता द्वारा अग्निशमन उपकरण पर चिपकाया जाए)

सर्विस स्लिप

पुनर्भरण की तारीख-------------------------------------

अगली नियत तारीख-------------------------------------

<u>नि.आ.सू. का अनुबंध-IV</u>

मासिक जांच सूची

(सफल बोलीदाता/वेंडर द्वारा प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाए)

क्रम सं.	विवरण (अप्रत्याशित सेवारत असफलता के लिए अग्निशमन उपकरण के बचाव के लिए मासिक जांच को कार्यान्वित करते समय आवश्यक कार्यकलापों को ध्यान में रखना चाहिए)	समुचित रूप से चिन्हित करें या अपनी अनुशंसाएं, यदि कोई हो, दें
1.	<u>सहज पहुंच को सुनिश्चित करना:</u> (क) आपाताकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरणों तक सहज पहुँच है और अग्निशमन उपकरण फर्नीचर या अन्य वस्तुओं द्वारा अवरूद्ध नहीं हैं। (ख) आपाताकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरण की पहुंच आसान नहीं हैं। अग्निशमन उपकरण फर्नीचर या अन्य वस्तुओं द्वारा अवरूद्ध हैं।	हां / नहीं ---------------- ----------------- हां / नहीं ---------------- -----------------
2.	<u>इसकी दृश्यता सुनिश्चित करना</u> अग्निशमन उपकरण को उस स्थान पर रखा गया या टांगा गया हैं जो किसी भी कमरे / गलियारे में सभी लोगों द्वारा आसानी से देखा जा सके ।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ----------------
3.	<u>टेम्पर सील की जांच</u> (क) अग्निशमन उपकरण में टेम्पर सील हैं जो यह सत्यापित करता है कि उनसे किसी प्रकार की छेड-छाड नहीं की गई हैं। (ख) टेम्पर सील टूटा हुआ है या किसी ने अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करने की कोशिश की है।	हां / नहीं (यदि (ख) तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- ----------------- ------------------

4.	**<u>पुल पिन की जांच</u>** पुल पिन समुचित रूप से अग्निशमन उपकरण के हैंडल में लगा हुआ है	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------
5.	**<u>दबाव की जांच</u>** अग्नि शमन उपकरण में अंतर्निहित दबाव गेज समुचित प्रचालन रेंज में दबाव को दर्शाते हैं। CO_2 अग्निशमन उपकरण को लीकेज निर्धारित करने के लिए मापा गया है और ऐसे लीकेज नहीं हैं	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------
6.	**<u>वास्तविक क्षति, यदि कोई हो</u>** वास्तविक क्षति, जंक, डिस्चार्ज पाईप की क्षति और अन्य समयावधि संबंधी क्षति है, तो उसका उल्लेख करें	---------------- -----------------
7.	**<u>क्या कोई भाग क्षतिग्रस्त है या नोजल मुक्त है</u>** यह सुनिश्चित कर लें कि अग्निशमन उपकरण के हौज या नोजल में कोई बग या अन्य डेबरिस नहीं है	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ----------------
8.	**<u>लेबलिंग</u>** अग्निशमन उपकरण में लेबल लगे हैं ताकि प्रयोक्ता उसमें अग्नि वर्ग की पहचान जल्द कर सके जिससे अग्निशमन उपकरण प्रभावी हो सके । अंकन प्रणाली एकल पहचान लेबल पर दोनों अनुशंसित तथा अस्वीकार्य अग्निशमन उपकरण का चित्रलिपि संयोजित की गई है।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------
9.	**<u>अग्निशमन उपकरण की माउन्टिंग</u>** अग्निशमन उपकरण उनके निर्दिष्ट / पहचान वाले स्थान पर समुचित रूप से माउन्टेड किया गया है ।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------

10.	<u>अग्निशमन उपकरण निरीक्षण टैग / कार्य सूची कार्ड की टैगिंग</u> अग्निशमन उपकरण निरीक्षण टैग/ कार्य सूची कार्ड को संबंधित अग्निशमन उपकरण के साथ समुचित रूप से टैग किया गया है और टैग में मासिक प्रविष्टियां हम लोगों द्वारा निष्पादित की गई हैं।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------
11.	<u>आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी</u> आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी ज्वलनशील सामग्री से मुक्त है ।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------
12.	<u>सर्विस स्लिप को चिपकाना</u> अग्निशमन उपकरणों पर वैध सर्विस स्लिप लगाए गए हैं।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ---------------- -----------------

<u>नि.आ.सू. का अनुबंध-V</u>

<u>अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी के विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना</u>

<u>प्रमाण-पत्र</u>

दिनांक .... के सं.लो.से.आ. के.नि.आ.सू. के प्रत्युत्तर में हमने .... (फर्म का नाम एवं पता) आपके विचारार्थ सं.लो.से.आ. में अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी के विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। नि.आ.सू. के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते है :-

1. कि हमें निविदा की सभी निबंधन एवं शर्ते स्वीकार्य हैं
2. कि मुझे / हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए दंडित / दोषी करार नहीं दिया गया है
3. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट कार्य के क्षेत्र को पूरी तरह समझते है और हमारी बोली पूर्ण रूपेण कार्य क्षेत्र के अनुरूप है
4. कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही फर्म या इसके मालिक / साझेदार के विरूद्ध भारत में किसी भी स्थान पर आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड़ की मोहर सहित फर्म / बोलीदाता का
नाम एवं पता

निविदा आमंत्रण सूचना का अनुबंध–VI

जांच-सूची

(तकनीकी बोली के भाग के रूप में)

फर्म का नाम एवं पता ------------------------------------

दूरभाष / मोबाइल सं. ---------------------------------------

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम------------------------

क्रम सं.	जांच सूची का विवरण	समुचित रूप से चिन्हित करें
1	क्या जमा धरोहर राशि की स्कैन्ड प्रति संलग्न है?	हां / नहीं
2	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति	हां / नहीं
3	क्या विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-18 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निवल लाभ / हानि को दर्शाते हुए फर्म का वार्षिक कारोबार जो विधिवत रूप से उनके चार्टरित लेखाकार से प्रमाणित है, संलग्न है?	हां / नहीं
4	क्या जी एस टी /सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है?	हां / नहीं
5	क्या फर्म का आयकर स्थायी खाता सं. संलग्न किया गया है?	हां / नहीं
6	क्या विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-18 की आयकर विवरणी संलग्न है?	हां / नहीं
7	क्या तीन वर्षों के लिए सामान प्रकार की सेवा प्रदान करने के अनुभव से संबंधित दस्तावेज को संलग्न किया गया है?	हां / नहीं
8	क्या निविदा दस्तावेज के अनुबंध-v में दिए गए दस्तावेज को हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है?	हां / नहीं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

रबड़ की मोहर सहित फर्म / बोलीदाता का

नाम एवं पता

<u>निविदा आमंत्रण सूचना का अनुबंध–VII</u>

अग्निशमन उपकरण / रेत की बाल्टी आदि को पुनः भरने के लिए दर उद्धत करने हेतु प्रोफार्मा
(वित्तीय बोली)

(भाग-1)

(राशि रू. में)

क्रम सं.	मदों का विवरण	कि.ग्रा./ ली. में क्षमता	मात्रा सं. में	वार्षिक अनुरक्षण की प्रति इकाई दर			कुल (कर रहित)		
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	ज=(घ)X(ड)	झ=(घ)X(च)	ञ=(घ)X(छ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
1.	जल संबंधी अग्निशमन उपकरण	09 ली.	83						
2.	CO_2 अग्निशमन उपकरण	02 कि.ग्रा.	09						
		03 कि.ग्रा.	03						
		4.5 कि.ग्रा.	110						
3.	शुष्क रासायनिक पाऊडर (ए बी सी प्रकार के) संचित दबाब	02 कि.ग्रा.	88						
		04 कि.ग्रा.	17						
		05 कि.ग्रा.	55						
		06 कि.ग्रा.	15						
4.	शुष्क रासायनिक पाऊडर (कार्टिज प्रकार के)	05 कि.ग्रा.	03						
		25 कि.ग्रा.	03						
5.	यांत्रिक झाग प्रकार के	09 ली.	37						
		50 ली.	3						
	कुल	426							

6.	अग्नि बुझाने वाली रेत की बाल्टी		126						
7.				कुल (कर रहित)			(ट)	(ठ)	(ड)
8.				कर की दर					
9.				कुल कर की राशि			(ढ)	(ण)	(त)
10.				कुल (कर सहित)			थ=ट+ढ	द=ठ+ण	ध=ड+त
							(थ)	(द)	(ध)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड़ की मोहर सहित फर्म /
बोलीदाता का नाम एवं पता

टिप्पणी : बोलीदाताओ को वित्तीय बोली के भाग-1 तथा भाग-2 दोनों में दर को उद्धत करना अपेक्षित है ।

निविदा आमंत्रण सूचना का अनुबंध–VIII

अग्निशमन उपकरण / आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी आदि के अनुरक्षण (पेटिंग तथा सांख्याकित करने सहित) के लिए दर उद्धत करने हेतु प्रोफार्मा

(वित्तीय बोली)

(भाग-2)

(राशि रू. में)

क्रम सं.	मदों का विवरण	कि.ग्रा./ ली. में क्षमता	मात्रा सं. में	वार्षिक अनुरक्षण की प्रति इकाई दर			कुल (कर रहित)		
				प्रथम वर्ष	द्यितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	ज=(घ)X(ड)	झ=(घ)X(च)	ञ=(घ)X(छ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
1.	जल संबंधी अग्निशमन उपकरण	09 ली.	83						
2.	CO_2 अग्निशमन उपकरण	02 कि.ग्रा.	09						
		03 कि.ग्रा.	03						
		4.5 कि.ग्रा.	110						
3.	शुष्क रासायनिक पाऊडर (ए बी सी प्रकार के) संचित दबाब	02 कि.ग्रा.	88						
		04 कि.ग्रा.	17						
		05 कि.ग्रा.	55						
		06 कि.ग्रा.	15						
4.	शुष्क रासायनिक पाऊडर (कार्टिज प्रकार के)	05 कि.ग्रा.	03						
		25 कि.ग्रा.	03						
5.	यांत्रिक झाग प्रकार के	09 ली.	37						
		50 ली.	3						
	कुल	426							

6.	अग्नि बुझाने वाली रेत की बाल्टी		126						
7.				कुल (कर रहित)			(ट)	(ठ)	(ड)
8.				कर दर					
9.				कुल कर की राशि			(ढ)	(ण)	(त)
10.				कुल (कर सहित)			थ=ट+ढ	द=ठ+ण	ध=ड+त
							(थ)	(द)	(ध)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड़ की मोहर सहित फर्म /
बोलीदाता का नाम एवं पता

टिप्पणी : बोलीदाताओं को वित्तीय बोली के भाग-1 तथा भाग-2 दोनों में दर को उद्धत करना अपेक्षित है।